न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 91/2010
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. छोगा आत्मज लच्छु उर्फ लक्ष्मण गुजर निवासी मेलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती चन्दरी पुत्री गमौरा पत्नि फता गुजर निवासी सगरेव हाल निवासी सेप्टीया
2. श्रीमती नैनी पुत्री गमौरा पत्नि छोगा गुजर नि0 मेलुनी हाल निवासी आटावाड़ा तह0 रायपुर
3. श्रीमती भरजी पुत्री गमौरा पत्नि गोपी गुजर नि0 सगरेव हाल निवासी आटावाड़ा तह0 रायपुर
4. उप पंजीयक सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा
5. किशनलाल आत्मज उदयराम कटारिया गुजर नि0 मेलुनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 29.11.2019

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक आराजी संख्या 868 रकबा एक बीघा 10 बिस्वा व 878 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भुमि गमौरा आत्मज जालु गुजर व अन्य के सामलात खाते में अन्य आराजियात के साथ दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें गमौरा का 1/3 हिस्सा था। प्रमाण में छाया प्रति संवत् 2014 से 2017 तक व सवंत् 2010 से 2013 तक की खसरा गिरदावरी की नकल संलग्न है।

यह कि गमौरा काफी समय मौजा ग्राम सगरेव में निवास कर रहे थे तथा इनका ग्राम मैलुनी आना जाना कम रहता था, जिससे वे ग्राम मैलुनी की खेती पर बराबर ध्यान नहीं दे पाते थे एवं उन्हे रूपयों की आवश्यकता होने से उन्होने उपरोक्त आराजियात में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ वादी को बिल एवज 80/– रूपये में दिनांक 15.07.1953 को विक्रय कर मुझ प्रार्थी को उसका कब्जा सिपुर्द कर दिया और एक विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी के पक्ष में तरतीब दिला दिया। प्रमाण में विक्रय पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

यह कि विपक्षीगण संख्या एक लगायत तीन द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है फिर भी अनाधिकृत रूप से विपक्षीगण सं0 एक लगायत तीन द्वारा वाद वर्णित आराजियात गलत रूप से अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए एवं न्याय में विलम्ब करने की गरज से दिनांक 16.05.2012 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विपक्षी संख्या पांच को नुमायशी तौर पर विक्रय कर दी एवं विपक्षी संख्या 5 ने नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण अपने नाम फैसल करवा [illegible] जो आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी होने से विधि में अपना कोई प्रभाव [illegible] विपक्षी संख्या पांच का नाम विवादित आराजियात से राजस्व रेकार्ड हटाये जाने व मुझ [illegible] उसके स्थान पर दर्ज करने की [illegible] न्यायोचित घोषणात्मक डिकी बहक प्रार्थी विरूद्ध विपक्षीगण सादर फरमाई जाना आव[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :– 91/2010
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि विपक्षीगण संख्या एक लगायत तीन व पांच प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे, न अन्य से करावें तथा विपक्षी संख्या पांच वाद वर्णित हिस्से की आराजियात को किसी अन्य को रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें तथा विपक्षी संख्या चार विपक्षी संख्या पांच द्वारा वाद वर्णित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.06.2010 को पंजिवद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । वर वक्त सुनवाई प्रार्थी के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 व पेरोकार सरकार उपस्थित । प्रार्थी एवं विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने वर वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता भी मौके और रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमत।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रार्थी का उक्त प्रकरण में प्रथम प्रथमदृष्टिया मामला बनना पाया जाता है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपुरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतःप्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित अर्थात् ग्राम मैलुनीखेड़ा तहसील सहाड़ा बैरून हल्का आबादी में स्थित साबिक आराजी संख्या 868 रकबा एक बीघा 10 बिस्वा व 878 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भुमि में विपक्षी उक्त अंकित आराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तबतक विपक्षी उक्त आराजियात में मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावती मूलवाद के साथ संग्रह की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:14:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

2.

Scanned by CamScanner